



प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-08 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन बैकयाई पोल्ट्री कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/सात-3/कुक्कुट/बै.पो.का./2026-27, दिनांक-22.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-अनुसूचित जातियों के लिए बैकयाई पोल्ट्री कार्यक्रम के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूरित में प्राविधानित धनराशि ₹0-500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजनों के लिए हो, इसका पर्यवेक्षण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि मदों में कोई विचलन होता है या निर्धारित प्रयोजनों से इतर धनराशि का व्यय लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराते हुए विचलित धनराशि की वसूली संबंधित लाभार्थी से करें।
5. योजनान्तर्गत सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में सब्सिडी का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की पुनरावृत्ति न हो तथा योजना का लाभ अधिकाधिक लाभार्थियों को मिल सके, यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
7. योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
8. योजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों से उत्पादित मांस, अण्डा तथा प्रति लाभार्थी हुई आय का विवरण रखे जाने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
10. विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
11. यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
13. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
15. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2403007890600** अनुसूचित जातियों के लिए बैंकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम **मानक मद 43** सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पू0सं0-105/2026/938(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(46)/03-99548, तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।